Email

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश
1250 तुलसी नगर भोपाल
(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)
(E-mail address: dpswbpl@nic.in)

क्रमांक/सामा.सहा.//2018/ 2168 भोपाल दिनांक 20-12-2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिका निगम,
   मध्यप्रदेश
4. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
   मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत
   मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषय:- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अन्तर्गत सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में नकली सामग्री प्रदान करने वाली संस्थाओं एवं आयोजन संस्थाओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने बाबत।

संदर्भ:- सरकार के वचन पत्र की कंडिका 22.2

---0---

कृपया सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग से संबंधित सरकार के **वचन पत्र की कंडिका 22 सामाजिक न्याय एवं वरिष्ठ नागरिक सेवायें की उपकंडिका 22.2** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसकी उप कंडिका क्रमांक-4 में

'सामूहिक कन्या विवाह/निकाह कार्यक्रम में नकली सामग्री प्रदान करने वाली संस्थाओं एवं आयोजक संस्थाओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी', का लेख है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अन्तर्गत सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में यदि किसी भी आयोजक या संस्था द्वारा नकली सामग्री प्रदान की जाती है तो उस आयोजक व संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाये। उक्त में किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं है।

उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कृष्ण गोपाल तिवारी)
संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

पृ.क्रमांक/सामा.सहा.//2018/2169 भोपाल दिनांक 20-12-2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ आफिसर मुख्य सचिव म.प्र.शासन
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

20/12/18
उप संचालक
वास्ते संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश